राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 5955

दिनांक: 30.08.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 25253 दिनांक 10.08.18 से पुलिस थाना उन्हैल के अभियोग सं0 60 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लाखन उर्फ लाखुडा पुत्र रजेसिंह जाति कंजर उम्र 20 साल निवासी डेरा कजंरान बामनदेवरिया थाना उन्हैल जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.07.2018 को श्री सूरसिंह सउनि मय जाप्ता वास्ते तकमील तफदीश मुकदमा न0 59 / 18 धारा 392, 34 भादस व तलाश मुलजिमान हेतु थाने से रवाना होकर बामनदेवरिया पहुंचा जर्ये मुखबिर सूचना मिली की बेडला फन्टो के पास झाडियो की हाड मे एक कंजर बैठा हुआ है। जो कोई भी अप्रिय वारदात कर सकता है। मुताबिक सूचना बेडला फन्टा पहुंचने पर एक व्यक्ति झाडियो मे छिपकर बैठा हुआ नजर आया उस व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया जिसको जाप्ते की मदद से डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लाखन उर्फ लाखुडा पुत्र रजेसिंह जाति कंजर उम्र 20 साल निवासी डेरा कजंरान बामनदेवरिया थाना उन्हैल जिला झालावाड का होना बताया। जिसकी तलाशी लिये जाने पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी साइट की जेब मे से एक देशी कटटा 315 बोर एक बैरल हस्ब हुलिया का मिला। लाखन उर्फ लाखुडा से देशी कटटा अपने कब्जे मे रखने बावत अनुज्ञापत्र चाहा तो उसने नही होना बताया। इस पर मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 60 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व किया गया।

दौराने अनुसंधान बयान फरियादियान एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । जब्तशुदा देशी कटटा 315 बोर का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आरर्मोरर ने बताया कि देशी कटटा 315 बोर फायर करने योग्य है, जो फायर आर्म्स की जद मे आता है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री लटूर लाल एचसी 882 व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सीलड देशी कटटा को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त लाखन उर्फ लाखुडा पुत्र रजेसिंह जाति कंजर उम्र 20 साल निवासी डेरा कजंरान बामनदेवरिया थाना उन्हैल जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड